Global Journal of Multidisciplinary Studies
Volume 08, Issue 06, May 2019
ISSN:- 2348-0459
Available online at www.gjms.edwin.co.in

भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में निजी विश्वविद्यालयः विकास, चुनोतियाँ और अवसर

शोर्धार्थी
बजरंगी मंडल
कलिंगा यूनिवर्सिट,रायपुर,छत्तीसगढ
डॉ शर्मिला
शोधनिर्देशिका

सारांश – इस लेख में ''भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में निजी विश्वविद्यालयः विकास, चुनोतियाँ और अवसर'' विषय के संदर्भ में विश्लेषणात्मक विवेचना करेंगें जिसमें हम भारत में निजी विश्वविद्यालय के गठन की आवश्यकता ,निजी विश्वविद्यालय के क्रियान्वयन में चुनौती,उद्देश्यपूर्ण व गुणत्तापूर्ण शिक्षा संचालन हेतू उठाये गये मत्वपूर्ण कदम तथा शिक्षा का व्यवसायीकरण और गिरता शैक्षणिक स्तर इन सभी बातों का उल्लेख होगां

शब्दकोश : भारतीय उच्च शिक्षा, विकास, चुनोतियाँ, अवसरं

प्रस्तावनाः–निजी विश्वविद्यालय वैसे उच्चतर शिक्षा संस्थान को कहा जाता है, जिन्हें निजी तौर पर लोगों के एक समूह या एक संगठन द्वारा स्थापित और संचालित किया जाता है, जिसका उद्देश्य निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1992 के तहत बड़ी संख्या में छात्रों के बीच उच्च शिक्षा के प्रसार को बढ़ाना है, जिसे 1992 में 9 अगस्त को पारित किया गया थां

निजी विश्वविद्यालय आकार, नामांकन, पाठ्यक्रम, वित्त पोषण प्राधिकरण, वित्तीय और प्रबंधकीय क्षमता में सार्वजनिक विश्विद्यालयों से भिन्न हैं सार्वजनिक विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के लिए छात्रों का पहला विकल्प देखा गया है इसके बाद ही निजी विश्वविद्यालय की ओर छात्र अपना रुझान रखते हैं निजी विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा की विस्तारित मांग की पूर्ति के लिए विकल्प के रूप में उभरा है,परन्तु वर्तमान में ऐसा देखा जा रहा है कि उनमें से कुछ ही निजी विश्विद्यालय हैं जो मानक एवम मानदण्ड के अनुरूप स्वस्थ शेक्षणिक माहौल बनाते हुए ऑनर्स , मास्टर्स , डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स व अन्य पाठ्यक्रम संचालित कर डिग्री, डिप्लोमा या शोध विषयक पाठ्यक्रम के प्रमाण पत्र प्रदान कर रहे हैं परन्तु कुछ निजी विश्विद्यालय गुणवत्ता के स्थान पर व्यावसायिक दृष्टिकोण के साथ प्रमाण पत्र वितरण करने वाली संस्थान बनते जा रहे हैं

'निजी विश्वविद्यालय के दिशा निर्देश'

सामान्य तौर पर राज्य सरकार निजी विश्वविद्यालयों को अनुमति देने के लिए न्यूनतम सुविधाओं पर जोर दे रही हैं यूजीसी ने पहले ही निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दिशा–निर्देश जारी कर दिए हैं और तदनुसार राजस्थान और हरियाणा की राज्य सरकार ने स्व–वित्तपोषित निजी विश्वविद्यालयों के अध्यादेश 2004 के रूप में अध्यादेश को मंजूरी दे दी हैं जिसके अनुसार निम्नलिखित आवश्यक हैं

क) गैर लाभ के आधार पर एक भरोसा या समाज द्वारा निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा सकती हैं

ख) भरोसा इस तरह के शुल्क के साथ निजी विश्वविद्यालय की अनुमति के लिए एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करेगां

ग) एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के परियोजना प्रस्ताव में, प्रस्तावित निकाय के प्रायोजन निकाय, नाम और स्थान का विवरण, भूमि और अन्य बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता, शिक्षण और गैर–शिक्षण कर्मचारी, पाठ्यक्रमों की प्रकृति, वित्त की खटास आदि का विवरण होना चाहिएं यदि पहले से उपलब्ध नहीं है, तो न्यूनतम ३० एकड़ जमीन की खरीद करें

च) प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए और अकादमिक कार्यक्रमों के संचालन के लिए कम से कम 10,000 वर्ग मीटर की जगह का निर्माण करनां

छ) उपकरण खरीदने के लिए, पहले वर्ष के लिए न्यूनतम 20 लाख तकं

ज) न्यूनतम संकाय की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी करने के लिए तुरंत नियुक्ति देने का वचन दें सहायक कर्मचारी, पाठक और सहायक कर्मचारियों के साथ पर्याप्त संख्या में व्याख्यातां

सुरक्षा जमा राशि के रूप में 1 करोड़ के लिए एक बंदोबस्ती कोष की स्थापना करें

राज्य सरकार अनुपालन रिपोर्ट को सत्यापित करने के लिए तीन सदस्य समिति की नियुक्ति करेगीं समिति अपने संविधान की तारीख से एक महीने के भीतर रिपोर्ट

Global Journal of Multidisciplinary Studies
Volume 08, Issue 06, May 2019
ISSN:- 2348-0459
Available online at www.gjms.edwin.co.in

प्रस्तुत करेगीं समिति से संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से निजी विश्वविद्यालय को अनुमोदन जारी करेगीं ऊपर से यह स्पष्ट है कि यूजीसी, डीम्ड विश्वविद्यालय या राज्य विश्वविद्यालयों में शामिल लंबी प्रक्रियाओं के साथ तुलना करने पर उपरोक्त प्रक्रिया सरल हो जाती हैं इसलिए कई उद्योगपति और समाजसेवी निजी विश्वविद्यालयों के गठन को स्वयं के लिए विकल्प के रूप में देख रहे हैं हालाँकि इन सभी निजी विश्वविद्यालयों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त करना आवश्यक हैं इन निजी विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए यूजीसी उन पाठ्यक्रमों के लिए व्यावसायिक परिषदों जैसे एआईसीटीई, एनसीटीई, एमसीआई, पीसीआई आदि से अनुमोदन भी जरूरी हैं

'भारत में निजी विश्वविद्यालयों का विकास एवमं उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि'

भारतीय उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र की भूमिका पिछले एक दशक में काफी बढ़ी है, जिसमें अधिकांश छात्र वर्तमान में निजी संस्थानों में नामांकित हो रहे हैंभारत में उच्च शिक्षा प्रणाली में पिछले दशक में प्रभावशाली विकास का प्रदर्शन करने वाले देशों में दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश है और अगले पांच वर्षों में अमेरिका से आगे निकलने और अगले 15 वर्षों में चीन की उच्च शिक्षा प्रणाली से बड़ी प्रणाली बनने की संभावना हैं

निजी क्षेत्र का आकार संस्थानों और छात्र नामांकन की संख्या के संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र का लगभग दोगुना हैं भारत में दुनिया भर में उच्च शिक्षा के 31,000 से अधिक संस्थान हैं केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुल 7 प्रतिशत, राज्य विश्वविद्यालयों में 46 प्रतिशत और राज्य निजी विश्वविद्यालयों में 16 प्रतिशत शामिल हैंय डीम्ड विश्वविद्यालय, 21 प्रतिशतय राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, कुल का लगभग नौ प्रतिशतं कुल मिलाकर, देश में संस्थानों की संख्या 11 प्रतिशत की दर से बढ़ी हैं संस्थानों के तेजी से विकास, ज्यादातर निजी छेत्र के संस्थान ने छात्रों को धन की अपेक्षित राशि का भुगतान करने और उन्हें प्राप्त करने के प्रयास के लिए योग्यता की सख्त आवश्यकता को प्राथमिकता देते हैं

इससे पहले, उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी इंजीनियरिंग, प्रबंधन और चिकित्सा जैसे अति विशिष्ट क्षेत्रों में रही हैं हालाँकि, बढ़ती जरूरतों का ध्यान रखने के लिए उच्च शिक्षा में भारी निवेश करने की सरकार की अक्षमता ने इस क्षेत्र में निजी भागीदारी के लिए व्यापक अवसर प्रदान किया हैं अधिकांश निजी संस्थानों को सरकार से सहायता प्राप्त नहीं होती है, जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के 52 प्रतिशत अनुदान केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जाते हैं, जो एक लाख से कम छात्रों को पूरा करते हैं

भारत में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई हैं लगभग 60 प्रतिशत से अधिक उच्च शिक्षा संस्थान निजी संस्थान हैं जिनमें लगभग 60 प्रतिशत छात्र नामांकित हैं निजी संस्थान अधिकांश स्नातक ,स्नातकोत्तर कोर्सेज, जैसे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, लॉ एंड आर्ट एंड डिजाइन आधारित पाठ्यक्रम उपलब्ध कराते हैं वर्तमान में उच्च शिक्षा में अधिक निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करते हुए नियामक ढांचे को सरल बनाया हैं

'निजी विश्वविद्यालयों के लिए अवसर'

•भारत सरकार ने 2020 तक उच्च शिक्षा में 30ः जीईआर प्राप्त करने का एक आक्रामक लक्ष्य निर्धारित किया है, जो अगले 8 वर्षों में जीईआर को दोगुना करने का अनुवाद करता हैं

•एनयूईपीए द्वारा हाल के अनुमानों के अनुसार, इस लक्ष्य को अतिरिक्त निवेश प्राप्त करना हैं रु. 9.5 लाख करोड़, जिसमें पूंजीगत व्यय और परिचालन व्यय शामिल हैं, को अगले 8 वर्षों में बनाया जाना हैं एक परिप्रेक्ष्य देने के लिए, 11 वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के तहत पूरे शिक्षा क्षेत्र को कुल आवंटन रु. 2.7 लाख करोड़ थां जिसमें से उच्च शिक्षा का हिस्सा केवल 30ः थां

•इसलिए, सीमित समर्थन को देखते हुए, जो सरकार निवेश के मामले में इस क्षेत्र को प्रदान कर सकती है, निजी क्षेत्र को बहुत बड़ी भूमिका निभाने की आवश्यकता हैं

•निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिकाः उच्च शिक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका पिछले एक दशक से तीव्र गति से बढ़ रही है और जीईआर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए त्वरित दर का विस्तार करने की आवश्यकता हैं

•निजी और विदेशी क्षेत्र की भागीदारी के लिए मौजूदा और भविष्य के अवसरः भारतीय उच्च शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या एक महत्वपूर्ण दर से बढ़ रही हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2006–07 में नामांकन 15.5 (12.4ः का जीईआर) से बढ़कर 2009 में 17.3 (15ः का जीईआर) हो गया हैं ये आंकड़े युवा कामकाजी उम्र के लोगों की बढ़ती संख्या को भी दर्शाते हैं शिक्षा प्रणाली में पढ़ाई छोड़ने के बजायं शैक्षिक संस्थानों में नामांकित 15–24 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों की संख्या 2004–05 में लगभग 30 मिलियन से बढ़कर 2009–10 में 60 मिलियन हो गईं ये रुझान निजी और विदेशी क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए

Global Journal of Multidisciplinary Studies
Volume 08, Issue 06, May 2019
ISSN:- 2348-0459
Available online at www.gjms.edwin.co.in

इस क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सेवाएं प्रदान करने का एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करते हैं

'निजी क्षेत्र में शिक्षा का व्यवसायीकरण और गिरता शैक्षणिक स्तर'

शिक्षा स्वतंत्रता को सार्थक व सकारात्मक तौर पर मानव को कौशल युक्त संसाधन के रूप में तैयार करने का सशक्त माध्यम है,जो जाति तथा श्रेणी ,ऊँचनीच के भेदभाव को दूर करती हैं यही कारण है कि भारतीय संविधान में शिक्षा द्वारा असमानता को दूर करने की बात कही गई हैं कहना न होगा कि समन्वयवादी सामाजिक व्यवस्था की दीर्घकालीन भूमिका को शिक्षा के द्वरा ही मजबूती मिलती हैं जो बहुत तेजी के साथ अपनी विश्वविसनीयता सामाजिक व्यवस्था में स्थापित करती हैं एक तरफ सरकार सस्ती शिक्षा देने के नाम पर शिक्षा पर अंधाधुंध पैसा खर्च करती आ रही है तो दूसरी ओर शिक्षा की दुकाने नित नये–नये क्रियाकलापों से शिक्षा के प्रसार के नाम पर मात्र धन बटोरने को मंशा से आगे बढ़ रहे हैं

अगर शिक्षा पाने के इच्छुकों के पास धन नहीं है तो क्या कारण है कि हर गली–कूचे मे अन्तर्राष्ट्रीय पब्लिक स्कूल से लेकर विश्वव्यापी विश्वविद्यालय तक खुल रहे हैं स्वाभाविक है कि अब शिक्षा पर सरकारी सहायता के लिये जनता वास्तव में मोहताज नहीं है पर अगर मुफ्त का माल मिल रहा है तो क्यों न उड़ाया जाए वाली भावना तो उपस्थित है ही, यही कारण है कि देश की अनेक शिक्षण संस्थाओं के संचालक अपनी राजनीतिक पहुँच अथवा जोड़–तोड़ की राजनीति से शिक्षा के नाम पर लाखों रूपये अनुदान स्वरूप प्राप्त कर रहे हैं

राज्य सरकार द्वारा शिक्षा पर 80 करोड़ के खर्च के मुकाबले प्रदेश में इस मद का 450 करोड़ रूपये खर्च कर शैक्षणिक स्तर ऊँचा उठाने का प्रयास किया गया हैं शिक्षा का व्यवसायीकरण अब लगभग पूरे देश में फैलता जा रहा हैं यद्यपि आंकड़ों की उपलब्धता नहीं है पर यह अवश्य है कि आम विद्यार्थी जितनी सरकारी सहायता शिक्षा पाने के लिये करता है, उससे ज्यादा उसे बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए खर्च करना पड़ता हैं सरकारी विद्यालय तथा महाविद्यालय के विद्यार्थियों को प्रतियोगी शिक्षा के लिए ट्यूशनों पर पैसा खर्च करना पड़ता हैं पुस्तकों, सहायक पाठ्य सामग्री, परीक्षा शुल्क, विविध आदि पर हर वर्ष भारी राशि खर्च करने होते हैं यह राशि शिक्षा पर सरकारी अनुदान से कम ही होती है इसलिए अब समय आ गया है, कि शिक्षा को सरकारी संरक्षण और नियंत्रण से निकाल लिया जाए,सभी स्कूल–कालेजों का अपना खर्च स्वयं उठाने को कहा जाए, प्राथमिक शिक्षा को अवश्य सरकारी सहायता मिलती रहे पर उस पर नियंत्रण स्थानीय लोगों का हो, ताकि शिक्षा माफिया इस पैसे के दुरूपयोग न कर सकें

शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण व समानता आवश्यक हैं वर्तमान में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में दी जा रही शिक्षा में पर्याप्त असमानता हैं फलतः उच्च शिक्षा हेतु नगरीय पाठ्यक्रम के साथ ग्रामीण विद्यार्थी अपरिचित ही रह जाते हैं

यह बात बार–बार उभरकर सामने आई है कि ग्रामीण छात्रों में पर्याप्त प्रतिभा होते हुए भी वह उच्च शिक्षा हेतु अनुपयुक्त हो जाते है, इसके पीछे मूलतः यही कारण है कि ग्रामों में प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को सीमित कर दिया जाता हैं यह एक तरह की शैक्षणिक पाठ्यक्रम का निर्धारण शासकीय स्तर पर होना चाहिए जिसमें अक्षर ज्ञान के अतिरिक्त आने वाले चरणों की सामग्री का भी लघु ज्ञान विद्यार्थियोंको दिया जाएं

कोठारी आयोग ने इस बात पर पर्याप्त बल दिया था कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में चलाये जा रहे शैक्षणिक पाठ्यक्रम में समानता हो, किन्तु यह असमानता आज भी कायम हैं वर्तमान में मुख्य रूप से तीन तरह के महाविद्यालय हैं, एक शासन द्वारा संचालित शासकीय महाविद्यालय, किन्तु इन महाविद्यालय की कार्य व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में शिक्षकों का वेतन, सुविधाएं और शिक्षा के साधनों में काफी फर्क है, शहरों में उच्चतम शुल्क लेने वाली शिक्षण संस्थानों की बाढ़ सी आयी हुई है, जिनमें शिक्षकों की स्थिति, वेतन आदि के मामलों में बंधुआ मजदूर जैसी हैं शहरी शिक्षण संस्थाओं में अधिकांशतः स्थानीय शिक्षक ही कार्यरत होते हैं जिसका परिणाम उनकी अधिकाधिक अनुपस्थिति है और इसका प्रभाव शिक्षा पर पड़ता हैं स्थानीय शिक्षक ट्यूशन व अन्य व्यवसाय में संलग्न रहते हैं और अध्यापन को गौण स्थान देते हैं इसके विपरीत निजी शासकीय संस्थान सामान्यतः मध्यम व निम्न कर्मी संविदा शिक्षक, गुरूजी, जनभागीदारी शिक्षक अध्ययन अध्यापन में कार्य की महती भूमिका निभा रहे हैं लेकिन पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक असमानता का विस्तार, शुल्क, आय,वितरण के साथ भुगतान पर भी पड़ा हैंइस मामलों में शासन की उदासीनता से न केवल शिक्षा जगत में जुड़े लोग ही नही वरन् उनके परिजन भी दुखी व बेबस हैं एक ओर जहाँ शिक्षा मद में करोड़ो रूपये खर्च हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शिक्षक व कर्मी को समान वेतन, भत्ते, लाभ तथा सुविधाओं से क्यों वंचित रखा गया है ? क्या हम उन प्रतिभाशाली उच्च शिक्षित युवकों को कम वेतन पर भर्ती कर अपने शिक्षा केन्द्रों का उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे ? शिक्षा जैसे प्रथम आवश्यक जनकल्याण कार्य हेतु शासन को खुले मन से विचार कर शिक्षक व कर्मियों के भविष्य निर्माण पर ध्यान देना होगा, ताकि शिक्षण स्तर को ऊँचा उठाया जा सके, जब तक समानता के आधार पर शिक्षा पद्धति पर व्यवस्था में समन्वय नहीं लाया जाता तब तक व्यवहारिक एवं गुणात्मक शिक्षा की बात करना बेमानी होगां

शैक्षिक संस्थानों द्वारा प्रदान किए जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों में एकरूपता का अभावं विभिन्न निजी संस्थानों

Global Journal of Multidisciplinary Studies
Volume 08, Issue 06, May 2019
ISSN:- 2348-0459
Available online at www.gjms.edwin.co.in

द्वारा मूल्यांकन की सामग्री, शिक्षाशास्त्र और रूपों में कोई एकरूपता नहीं हैं

पुराने पाठ्यक्रम– अधिकांश संस्थानों में जिस पाठ्यक्रम का अनुसरण किया जाता है, वह तेजी से बदलते आर्थिक और सामाजिक–तकनीकी वातावरण के साथ तालमेल नहीं रख पाता हैं

उच्च शिक्षा के संकाय संस्थानों की कमी अच्छी गुणवत्ता संकाय की तीव्र कमी का सामना कर रही हैं उच्च रैंकिंग वाले छात्र बेहतर करियर संभावनाओं के कारण उद्योग से जुड़ना पसंद करते हैं शैक्षणिक योग्यता पर प्रतिबद्धता कभी–कभी उद्योग एवमं व्यवसाय के अच्छी गुणवत्ता वाले पेशेवरों को नियुक्त करने में चुनौतियां पैदा करता हैं

उच्च शिक्षा में निजी शिक्षण संस्थानों की स्थापना को मजबूत आधार प्रदान करने के लिए पिछले पंचवर्षीय योजनाओं का विश्लेषण है जो इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि, बुनियादी ढांचे को विकसित करने, कई कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से गुणवत्ता में सुधार, सामग्री और मूल्यांकन में सुधार की शुरुआत करने और पीढ़ी को प्रोत्साहित करने के लिए आधार को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं अनुसंधान के माध्यम से पंचवर्षीय योजना का फोकस बुनियादी ढांचे के विकास पर था जिसके द्वारा समेकित और गुणवत्ता सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गयां सातवीं पंचवर्षीय योजना ने अनुसंधान और शैक्षणिक विकास पर जोर दियां यह इस योजना से था कि उत्कृष्टता और स्व वित्त–पोषित विकास केंद्रों को मान्यता दी गई थीं नौवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य प्रमुख सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था को तैयार करना थां दसवीं पंचवर्षीय योजना का ध्यान उच्च शिक्षा, अनुसंधान और विकास, वित्तपोषण में प्रबंधन और नई सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग की गुणवत्ता और प्रासंगिकता के उद्देश्य से थां दसवीं पंचवर्षीय योजना ने 21 वीं सदी में उच्च शिक्षा के लिए आधार प्रदान कियां ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य सभी को पहुंच, न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है और यह लक्ष्य अबतक चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा हैं

उपसंहार

निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में हुई संख्यात्मक वृद्धि के आधार पर परिणामों की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार की आवश्यकता हैं आईआईटी जैसे संस्थानों की सीमित संख्या तथा देश मे बढ़ते निजी इंजीनियरिंग संस्थानो में मनक स्तरीय संस्थान के रूप में अधिकांशतः पहचान बनाने में असफल हुए हैं सब्सिडी व छात्रवृत्ति वितरण छात्रों की योग्यता के आधार पर होनी चाहिए जिससे छात्रवृत्ति को युक्तिसंगत बनाया जा सकें निजी संस्थानों के अनियंत्रित और असंतुलित विकास को अनुसंधान आधारित विश्वविद्यालयों के रूप में परिवर्तित करने हेतु निजी एवमं सार्वजनिक उपक्रमों का साझा प्रयास होना एक महत्वपूर्ण विकल्प दिख रहा हैं उच्च शिक्षा में क्षेत्रीय विषमता को सही करने के लिए विनियमित करने की आवश्यकता हैं संस्थानों के लाभ की प्रकृति के लिए वर्तमान प्रणाली पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हैं संकायों की कमी को दूर करने के लिए नियामकों को शिक्षाविदों के अनुभव तथा पेशेवरों की अनुमति देने की संभावनाओं पर विचार करने की आवश्यकता हैं

संदर्भ ग्रन्थ सूचीः

•अग्रवाल, पी. दक्षिण एशिया के देशों में उच्च शिक्षा का निजीकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरणः एक अनुभवजन्य विश्लेषणं नई दिल्ली, भारतः अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद (ICRIER)

•अल्टबैक, पी. (1999) निजी प्रोमेथियसः 21 वीं सदी में निजी उच्च शिक्षा और विकासं वेस्टपोर्ट, यूएसः ग्रीनवुड प्रेसं

•अल्टबैक, पी. (2009) विश्व का एक तिहाई हिस्साः चीन और भारत में उच्च शिक्षा का भविष्यं संभावनाएँ, ३ ६

•ईवाई–फिक्की (2009) भारतीय उच्च शिक्षा को तैयार करनां 17 जनवरी 2012 को लिया गया

•ईवाई–फिक्की (2012) भारत में उच्च शिक्षाः बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) और उसके बादं कोलकाता, भारतः अर्न्स्ट एंड यंग प्रां लिमिटेड

•गुप्ता, डीं एंड गुप्ता, एनं (2012) भारत में उच्च शिक्षाः संरचना, सांख्यिकी और चुनौतियां जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड

•जमाल, शकट एं एनं एमं, (2002), ''मानव संसाधन विकास में निजी विश्वविद्यालयों की भूमिका'', 24 फरवरी, 2009 को लिया गया, भारत में निजी विश्वविद्यालय और शिक्षा की गुणवत्ता मानविकी सामाजिक विज्ञान और शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल ¼IJHSSE½ पृष्ठ 144

•जॉन एफ कैनेडी ने कांग्रेस को शिक्षा पर एक विशेष संदेश में, 20 फरवरी 1961, (8 नवंबर 2012 को एक्सेस किया गया)

•अबू नसेर (2013), ''बांग्लादेश में निजी विश्वविद्यालयों की शिक्षा गुणवत्ताः संकाय संसाधन और बुनियादी ढांचे के परिप्रेक्ष्य'', सामान्य और सतत शिक्षा विभाग (GCE½, उत्तर दक्षिण विश्वविद्यालय ढाका, Google 12 अगस्त 2015 से डाउनलोड किया गयां